न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 316/2013

उनवान

1. भंवरसिह आत्मज स्व0 श्री भेरूसिंह जी जाति राजपूत
2. नन्दसिंह आत्मज स्व0 श्री भेरूसिंह जी जाति राजपूत
3. हिम्मतसिह आत्मज स्व0 श्री भेरूसिंह जी जाति राजपूत
4. भीमसिंह आत्मज स्व0 श्री भेरूसिंह जी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम ढीपरी चम्बल तहसील पीपल्दा जिला कोटा

–अपीलान्ट

बनाम

. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. रेस्पोडेन्ट (पेरोकार सरकार)

प्रकरण संख्या :326/2013

उनवान

1. रामनिवास पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा
2. रामेश्वर पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा
3. रामकिशन पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा
4. मोहन पुत्र श्री नंदा मीणा
5. नन्दकिशोर आत्मज श्री धन्नालाल जाति मीणा
6. बुद्धिप्रकाश आत्मज श्री धन्नालाल जाति मीणा
निवासीगण ग्राम सब्जीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवावा (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. रेस्पोडेन्ट (पेरोकार सरकार)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एव धारा 75 राज0 भू0 अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 17.10.2005 न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

निर्णय दिनांक :28.08.2024

1. उपरोक्त वर्णित दोनो अपील एक ही आदेश दिनांक 17.10.2005 के विरूद्ध होने से अपील संखा 326/2013 को पूर्व अपील संख्या 316/2013 में समायोजित की जाकर दोनो प्रकरणो की विषयवस्तु एक ही होने से दोनो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2 अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाने के लिए लिखा गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के सम्बन्ध में तहसीलदार पीपल्दा ने पत्र क्रमांक 999 दिनांक 16.07.2024 से अवगत कराया है कि चाहा जा रहा रिकार्ड बाढ मे ग्रस्ति हो जाने से कार्यालय से नष्ट हो चुका है। इस कारण रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

3 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4 वकील अपीलाण्ट का बहस में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम ढीपरी तहसील पीपल्दा के ख0न0 221 की 7.13 है0 ख0न0 226 की 0.42 हैक्टर तथा ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा के ख0न0 409 की 12.50 है0 ख0न0 510 की रकबा 1.15 हे0 ख0न0 522 की रकबा 2.29 है0 एवं 522/583 की 1.0है0 भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश फरमाने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को अतिक्रमी होना मान कर उपरोक्त भूमि से बेदखल किये जाने का एवं बहक सरकार दखल प्राप्त कर दखलनामा पेश करने बाबत भू0अभिलेख निरीक्षक को आदेशित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलान्टान उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार वैधानिक रूप से काबिज चले आ रहे है। तथा अपीलाण्ट उपरोक्त पर अतिक्रमी के रूप से काबिज नहीं है। नायब तहसीलदार सीएडी इटावा द्वारा पूर्व में भी अपीलान्टान के पिता भेरूसिह जी के विरूद्ध धारा 91 राज0 भू0 राज0 अधि0 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी तथा उपरोक्त आराजीयात से अपीलान्टान के विरूद्ध बेदखली आराजी का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट के पिता द्वारा सम्माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। जिसको न्यायालय द्वारा उक्त अपील दिनांक 28.06.1985 को स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलान्टान के पिता श्री भेरूसिंह जी का सन् 1996 में स्वर्गवास हो गया था उनके स्वर्गवास के उपरान्त से अपीलान्टान भेरूसिह जी के पुत्र व उत्तराधिकारी होने से कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार हो गये है। अपीलान्टान उपरोक्त

आराजी पर लगभग 76 वर्ष पूर्व से ही निरन्तर शांति पूर्वक बहैसियत टीनेन्ट काबिज चल आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। उपरोक्त आराजियात के संबध में उपखण्ड अधिकारी इटावा के न्यायालय में बेदखली आराजी का दावा विचाराधीन है। जिसमे पक्षकारों के हक हकूको का निर्धारण होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की अप्रसन्नता से अपीलान्टान ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की थी। उक्त प्रकरण में दौराने निगरानी अपीलान्टान के पक्ष में स्थगन आदेश पारित फरमाया गया था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निगरानी दिनांक 2.05.2012 को खारिज फरमा दी गयी थी। रिव्यू आवेदन पत्र भी दिनांक 18.09.2012 को खारिज फरमाया जा चुका है। उक्त दोनो आदेशो की अप्रसन्नता से अपीलान्टान ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेच जयपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की थी। उक्त रिट याचिका दिनांक 11.09.2013 को एजविदड्ा खारिज फरमाई जाकर अपील मय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का एवं उस पर संबधित न्यायालय द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया गया है। अपीलान्टान द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी नजरसानी प्रार्थना पत्र एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेच जयपुर में अपीलान्टान के अभिभाषको द्वारा दी गयी कानूनी सलाह के आधार पर सदभाविक रूप से प्रस्तुत की गयी थी। अतः अपीलान्टान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेच के आदेशानुसार धारा 5 व धारा 14 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डौन करवाने का अधिकारी है। दिनांक 17.10.2005 से दिनांक 7.10.2013 तक की डिले कन्डौन फरमायी जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। अपीलान्टान ने आदेश दिनांक 17.10.2005 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये तहसीलदार पीपल्दा एवं जिला कलेक्टर साहब के कार्यालय जिला रिकार्ड रूम में प्रा0पत्र प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु संबधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना जाहिर कर अपीलान्टान को अभी तक भी प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी गयी। अपीलान्टान द्वारा हुक्म जेर अपील के विरूद्ध पूर्व में सम्माननीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2005 निरस्त फरमाया जावे। तथा अपीलान्टान को उपरोक्त आराजीयात से बेदखल नहीं किये जाने का आदेश प्रदान करे।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया यह अपीले आदेश दिनांक 17.10.2005 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 व धारा 14 लिमिटेशन एक्ट के साथ दिनांक 7.10.2013 व 6.11.202013 को पेश की गई। जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन को आदेश की नकल सही समय पर नहीं मिलने का बताया। अतः न्यायहित को ध्यान मे रखते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 व धारा 14 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

6. हमने अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम ढीपरी तहसील पीपल्दा के ख0न0 221 की 7.13 है0 ख0न0 226 की 0.42 हैक्टर तथा ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा के ख0न0 409 की 12.50 है0 ख0न0 510 की रकबा 1.15 हे0 ख0न0 522 की रकबा 2.29 है0 एवं 522/583 की 1.0 है0 भूमि का सम्बन्धित वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट उनवान मूर्ति मन्दिर ठाकुर जी बनाम भंवरसिंह दिनांक 13.10.2006 से उपखण्ड अधिकारी इटावा में विचाराधीन चल रहा है। अराजकीय मन्दिरो की देखरेख हेतु उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। अतः तहसीलदार पीपल्दा को प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण को उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। समिति उक्त प्रकरण को आज मे प्रचलित नियमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा